संख्या—२४५२९०/XXXIV-02/2024/05/2024,E-71409,

प्रेषक,

डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव,

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद,,

झाझरा, देहरादून।

सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभागं—02 देहरादून : दिनांक ०९ अक्टूबर, 2024।

विषयः—वित्तीय वर्ष 2024—25 में अनुदान संख्या—23 के अन्तर्गत मानक मद संख्या—56 में धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—26345/वि0प्रौ0प0/लेखा—2024—25 दिनांक 10 सितम्बर, 2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—23 के 07—"विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता" की मानक मद 56—सहायक अनुदान(सामान्य गैर वेतन) हेतु रू0 600 लाख तथा 15—"विज्ञान धाम" की मानक मद 56—सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु रू0 50 लाख इस प्रकार कुल रू0 650 लाख(रूपये छह करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि को नियमानुसार निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1— बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा आहरण वितरण अधिकारी को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करा दी जायेगी कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय।

2— बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 05 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0—8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

3— प्रत्येक दशा में मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाय और मितव्ययिता के सम्बन्ध में योजना बना ली जाय। तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित/आबंटित के सापेक्ष बजट समय—समय पर जारी शासनादेशों एवं तद्विषयक आदेशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4— धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका

के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें धनराशि व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5— प्रश्नगत धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जाय अन्यथा धनराशि को तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—01(वित्तीय अधिकर प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—5 भाग—01(लेखा नियम) आय—व्ययक से सम्बन्धित नियम(बजट मैनुअल) तथा सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7— इस सम्बन्ध में होने वाल व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—23 के अन्तर्गत 3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान—60—अन्य—004—अनुसंधान एवं विकास, 07—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की सहायता तथा 15—विज्ञान धाम की मानक मद संख्या 56—सहायक अनुदान(सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय

Signed by
Ashish Kumar Srivastava
Date: 09-10-2024 13:38:19

(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक—तैदव।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।

2— महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3— कोषाधिकारी, देहरादून।

4— निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

5— बजट अधिकारी साईबर कोषागार, देहरादून।

6— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—05 / नियोजन विभाग / एन0आई0सी0।

7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(मो0 ओबैदुल्लाह अन्सारी)
अनु सचिव